**भारत सरकार**
**सहकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1182**
**मंगलवार, 11 फ़रवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक) को उत्तरार्थ**

**सामान्य सेवा केन्द्र के रूप में पीएसीएस**

**†1182.श्री दिलीप शइकीयाः**
**श्री बिद्युत बरन महतोः**
**श्रीमती कमलेश जांगड़ेः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न सरकारी निकायों और हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएसीएस द्वारा अब प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त कदम से देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ के किसानों को किस प्रकार लाभ होगा?

**उत्तर**

**सहकारिता मंत्री**
**(श्री अमित शाह)**

(क) से (घ): जी हाँ, मान्यवर । प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को कॉमन सेवा केंद्रों (CSC) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जिसका लक्ष्य पैक्स को देश के ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं, आदि सहित 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है । दिनांक 27.01.2025 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 1,897 पैक्स सहित देश में कुल 42,080 पैक्स ने कॉमन सर्विस केंद्र की सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है ।

कॉमन सर्विस केंद्र के रूप में कार्यरत पैक्स विभिन्न ई-सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **प्रधानमंत्री कल्याण योजनाएं:** आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-श्रम पंजीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि ।

ii. **केन्द्रीय सरकार की सेवाएं:**. आधार, पैन कार्ड, जीवन प्रमाण, पासपोर्ट, पानी और बिजली बिल भुगतान सेवाएं, आईटीआर फाइलिंग, ई-स्टाम्प, आदि ।

iii. **राज्य सरकार की सेवाएं:**, ई-जिला सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सेवाएं, नगरपालिका सेवाएं आदि ।

iv. **वित्तीय समावेशन सेवाएं:** बैंकिंग, ऋण, बीमा, पेंशन, डिजी-पे, फास्टैग, आदि ।

v. **कृषि सेवाएं:** CSC ई-एग्री पोर्टल, एग्री टेली-कंसल्टेशन और ईपशु चिकित्सा, मृदा परीक्षण केंद्र, किसान ई-मार्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, आदि ।

vi. **ई-मोबिलिटी और स्मार्ट उत्पाद:** ग्रामीण ई-मोबिलिटी डीलरशिप, स्मार्ट उत्पाद आदि ।

vii. **अन्य सेवाएं:** स्त्री स्वाभिमान पहल, SPARSH रक्षा पेंशन सेवा पोर्टल, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज और बिल भुगतान, आदि ।

यह पहल छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर के किसानों को पैक्स स्तर पर ही विभिन्न ई-सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे यात्रा लागत में कमी, वित्तीय समावेशन में वृद्धि और सेवा डिलीवरी में सुधार होता है । यह पहल जमीनी स्तर पर डिजिटल पहुंच प्रदान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती है और उनके सुगम जीवनयापन की सुगमता को बढ़ाती है । इसके अतिरिक्त, यह पैक्स के लिए आय के नए अवसरों का सृजन करती है जिससे अंततः, उनसे जुड़े करोड़ों छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होते हैं ।

*****